(1)

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग।

विषयः— अडानी इंटरप्राइजेज लि० गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजना में शामिल सभी गावों के अंतर्गत आने वाले वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु परिवर्तन नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय में कहना है कि अडानी इंटरप्राइजेज लि० गोंदलपुर कोयला खनन परियोजना के प्रभावित सभी गावों के ग्रामिणों ने यह तय किया है कि सभी गावों के वन भूमि को गैरवानिकी (खनन, ओभर वर्डेन का रख रखाव एवं अन्य कार्य) हेतु आदेश निर्गत नहीं किया जाय।

इस कार्य के लिए सभी प्रभावित गांव के ग्रमीण सदा आभारी रहेंगे।

आवेदन के साथ कुल 610 (छः सौ दस) ग्रामीणों का हस्ताक्षर तथा कुल 28 (अट्ठाईस) पृष्ठ हैं।

भवदीय

ग्रामीण जनता

रवि कुमार 10/2/2023
उप मुखिया
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा
बड़कागाँव, हजारीबाग

(1) विनय कुमार मेहता
(2) Baleshwar yadav
(3) अरुण कुमार
(4) Chandan Kumar
(5) अरुण कुमार
(6) देवनाथ महतो 24/02/23
ग्रा० गोन्दलपुरा
(7) रमेश भुई

Jinesh Kr. Kushwaha
वार्ड सदस्य
वार्ड नं०—02
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा

यशोदा देवी
वार्ड सदस्य
वार्ड नं०—07
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा

राहुल कुमार भुई
वार्ड सदस्य
वार्ड नं०—03
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा

[illegible] का कार्यालय, हजारीबाग।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

आम सूचना

आम सूचना सं0 1028/भू0अ0 दिनांक 18.07.2022

एतद् द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निहित आदेश सं0 NA-104/10/2020-NA दिनांक 08.03.2021 द्वारा अडानी इन्टरप्राईजेज को आवंटित गोन्दलपारा कोल ब्लॉक अन्तर्गत 551.58 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के निमित भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 11 के उपबंधों के अधीन एस0आई0ए0 के प्रमुख निष्कर्ष को बताने, निष्कर्षो पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज में इसे सम्मिलित करने हेतु उपायुक्त सह समुचित सरकार के एस0आई0ए0 आम सूचना सं0905/भू0अ0 दिनांक 25.06.2022 के द्वारा निर्धारित तिथि 19.07.2022 एवं 22.07.2022 को आहूत ग्राम सभा की बैठक की अगली तिथि निर्धारित होने तक स्थगित की जाती है। साथ ही ग्राम सभा की अगली तिथि एवं स्थल की पूर्नसूचना दो सप्ताह के अन्दर दी जायेगी।

प्रभावित ग्रामीणों, जिला प्रशासन/समुचित सरकार के प्रतिनिधि एवं अडानी इन्टरप्राईजेज लि0 के प्रतिनिधि के साथ एक सप्ताह के अन्दर त्रिपक्षीय संयुक्त वार्ता कर भू-रैयतों/प्रभावितों को देय मुआवजा एवं आर0एण्ड आर0 से संबंधित सुविधाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने हेतु तिथि एवं स्थान निर्धारित किये जाने की सूचना शीघ्र प्रकाशित की जायेगी।

18/7/22

उपायुक्त सह
समुचित सरकार,
हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

ग्राम सभा हेतू आम सूचना

एस0आई0ए0 आम सूचना सं0..1364..../भू0अ0 दिनांक ..01..../...10.../2022

एतद् द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के निहित आदेश सं0 NA-104/10/2020-NA दिनांक 08.03.2021 द्वारा अडानी इन्टरप्राईजेज लि0 को गोन्दूलपारा कोयला खान, बड़कागाँव आवंटित किया गया है। जिसके आलोक में प्रेसीडेन्ट, अडानी इन्टरप्राईजेज लि0 द्वारा बड़कागांव अंचल अन्तर्गत गोन्दलपारा कोयला खान, बड़कागाँव में निहित रैयती भूमि कमोवेश 551.58 ए0 के अधिग्रहण हेतु झारखण्ड भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2015 के तहत प्रपत्र-1 में अधियाचना समर्पित की गई है।

उक्त के परिपेक्ष्य में झारखण्ड राज्य S.I.A ईकाई के रुप में अधिसूचित ईकाई NABARD Consultancy Service Private Limited (NABCOM) Opposite Adiwasi College, Hostel Karamtoli Road Ranchi 834001 को भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत गोन्दलपारा कोयला खान बड़कागांव के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचित किये जाने के फलस्वरुप S.I.A एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन कर ड्राफ्ट एस0आई0ए0 रिर्पोट समर्पित की गई है। ड्राफ्ट एस0आई0ए0 रिर्पोट को दिनांक 15.06.2022 को नियमानुसार सभी संबंधित कार्यालयों एवं पक्षकारों को उपलब्ध कराते हुए जिला के वेबसाईट में अपलोड कर प्रकाशन किया जा चुका है।

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2015 के नियम 11 के उपबंधो के अधीन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा आयोजित कर ड्राफ्ट एस0आई0ए0 रिर्पोट ग्राम सभा के पटल पर रखने एवं नियमानुसार S.I.A के प्रमुख निष्कर्ष को बताने, निष्कर्षो पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज में इसे सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना और मंतव्य मांगने के लिए पुनः ग्राम सभा की बैठक आहूत करने हेतु निम्नरुपेण तिथि एवं स्थान निर्धारित की जाती है।

क्र0	ग्राम	स्थान	ग्राम सभा की तिथि	समय	ग्राम सभा मे भाग लेने हेतु प्राधिकृत पदा0/कर्मचारी
1	बलोदर, हाहे एवं फुलांग	प्राथमिक विद्यालय बलोदर के समीप स्कुल प्रागण में	10.10.2022	11:30 पूर्वा0	1. श्री सुनील कुमार सिंह, कानूनगो। 2. श्री राजु दास, अमीन 3. श्री परमानन्द महतो, अमीन जिला भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग।
2	गाली	प्राथमिक विद्यालय गाली के समीप स्कुल प्रांगण में	12.10.2022	11:30 पूर्वा0	
3	गोन्दलपुरा	पचायत भवन, गोन्दलपुरा	18.10.2022	11:30 पूर्वा0	

01/10/22

उपायुक्त सह
समुचित सरकार, हजारीबाग

(1)

सेवा में,

उपायुक्त, महोदय,
हजारीबाग।

विषय:-एस०आई०ए० आम सूचना संख्या-1304/भू0अ0 दिनांक-01-10-2022 के आलोक में आपत्ति दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त वर्णित सूचना के आलोक में 03 गांव में अलग-अलग तिथियों को 05 गांव के लोगों को अडानी इंटरप्राईजेज लिमिटेड को आवंटित गोंदलपुरा कोल ब्लॉक हेतु दिनांक-10-10-2022 को ग्राम बलोदर, हाहे एवं फुलांग दिनांक-12-10-2022 को ग्राम गाली एवं दिनांक-18-10-2022 को ग्राम गोंदलपुरा में ग्राम सभा आयोजित करने की सूचना मिली है। दिनांक-02-10-2022 को ग्राम गोंदलपूरा के मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित कर ग्राम गोंदलपूरा, हाहे, फुलांग बलोदर एवं गाली के आम रैयत ग्रामीणो में आम सहमति बनाकर अडानी इंटरप्राईजेज लिमिटेड कंपनी को अपनी जमीन नहीं देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में भी इस संबंध में दिनांक-16-09-2019 एवं दिनांक-12-07-2022 को आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। ग्राम बलोदर में दिनांक-15-07-2022 को आयोजित लोक सुनवाई का भी ग्रामिणों ने भारी विरोध किया था।

अतः महाशय से निवेदन है कि ग्राम सभा के निर्णय का सम्मान करते हुए आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा को वापस लेते हुए तीन फसलों की खेतीवाली भूमि एवं वनों पर आश्रित रैयतों की मांग स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन
ग्रामीण जनता

(1) [signature]
मुखिया
ग्राम पंचायत गोंदलपुरा

(2) रूपा [illegible]
वार्ड सदस्य (वार्ड न. 9)

(3) Ganesh Ram
वार्ड सदस्य
वार्ड नं. 02
ग्राम पंचायत गोंदलपुरा

(4) Mohan Kr. Mehta
पंचायत समिति सदस्य
ग्राम पंचायत-गोन्दलपुरा
प्रखण्ड-बड़कागांव, हजारीबाग

(5) रवि कुमार
उप मुखिया
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा
बड़कागाँव, हजारीबाग

(6) [signature]
वार्ड सदस्य
ग्राम पंचायत गोन्दलपुरा

अनुलग्नक:- दिनांक-16/09/2019 को समर्पित आवेदन की छायाप्रति
अनुलग्नक:- दिनांक-12/07/2022 को समर्पित आवेदन की छायाप्रति
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बड़कागांव
प्रतिलिपि- थाना प्रभारी बड़कागांव
प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी सदर हजारीबाग
प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता हजारीबाग
प्रतिलिपि- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी हजारीबाग
प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक हजारीबाग
प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार
प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार
प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल झारखण्ड सरकार

(1) हस्ताक्षरयुक्त कुल (30) तीस पृष्ठ जिसमें कुल ग्रामीणों का हस्ताक्षर (1199) ग्यारह सौ निन्यानवे है।
(2) दिनांक 12.07.2022 को आपत्ति दर्ज की छाया प्रति —

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग।

विषयः— दिनांक—18 अक्टुबर 2022 को आहूत ग्राम सभा रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन है कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम के सभी ग्रामीण जनता पंचायत भवन परिसर के सटे महुआ पेड के पास दिनांक—16—10—2022 को ग्राम सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री बासुदेव कुमार यादव, मुखिया ग्राम पंचायत गोंदलपुरा ने की, जिसमें सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1.गोंदलपुरा, गाली, बलोदर, हाहे एवं फुलांग की सभी जमीन बहुफसली, सिंचित व उपजाउ है। इसलिए उपस्थित ग्राम सभा में ग्रामीणों नें निर्णय लिया कि अपने जिविको पार्जन के इस संसाधन को किसी भी शर्त में अडानी कोल कंपनी को नहीं देंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि गोंदलपुरा पंचायत भवन में होने वाले अडानी इंटरप्राइजेज के गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के लिए दिनांक—18—10—2022 को की जाने वाली ग्राम सभा को रद्द करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः— दिनांक 16—10—2022 को की गई ग्राम सभा की छायाप्रति, प्रस्ताव आवेदन पत्र तथा 01 से लेकर 308 ग्रामीणों का हस्ताक्षर कुल 08 पन्ने में संलग्न।

भवदीय

ग्रामीण जनता, ग्राम गोंदलपुरा

मुखिया
बासुदेव कु0 यादव
ग्राम पंचायत-गोंदलपुरा
बड़कागाँव, हजारीबाग

Scanned By Camera Scanner